

कार्यालय- नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 23.03.2015 के अनुपालन में वर्ष 2015-2016 के लिये लेखन सामग्री (लेखन सामग्री से सम्बन्धित समस्त वस्तुओं का विवरण पुस्तकालय अनुभाग जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई में प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक अवलोकन किया जा सकता है।) की आपूर्ति हेतु लेखन सामग्री की दरें अनुमोदित होना है जिसके लिए पंजीकृत प्रतिष्ठानों के स्टेशनरी विक्रेताओं से सीलबन्द लिफाफे में निविदाये आमांत्रित की जाती है। निविदाये दिनांक 18.04.2015 तक सांय काल 04.00 बजे तक नजारत अनुभाग जालौन स्थान उरई में अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए उपरोक्त समय के उपरान्त निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। जिस सामग्री की आपूर्ति की जानी है उसका विवरण पुस्तकालय अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है एवं पुस्तकालय अनुभाग की सूची में वर्णित सामग्री के क्रम में ही मूल्य अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। निविदा प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक स्टेशनरी विक्रेता को अपने फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है तथा अपनी निविदा में अंकित सामग्री का सैम्पिल भी साथ में प्रेषित करना अनिवार्य है।

समय के अन्तर्गत प्राप्त निविदाये दिनांक 25.04.2015 को अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में सांय काल 04.00 बजे खोली जायेगी तत्पश्चात् निविदाये आख्या सहित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित की जायेगी निविदाये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा। उपरोक्त सूचना विज्ञप्ति जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की वेबसाइट “ecourts.gov.in/jalaun” पर भी उपलब्ध है।

दिनांक:- 25.03.2015

(अनिल कुमार उपाध्याय)

अध्यक्ष

कयसमिति / विशेष न्यायाधीश

(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट)

जनपद न्यायालय-जालौन
स्थान उरई।

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. जनपद न्यायालय झांसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
6. दैनिक कर्मयुग प्रकाश उरई को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. जनपद न्यायालय हमीरपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जनपद न्यायालय कानपुर देहात को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. जनपद न्यायालय कानपुर शहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बाह्य स्थित न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को निःशुल्क प्रचार प्रसार करवाने हेतु।
12. जनपद न्यायालय ललितपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
13. जनपद न्यायालय इटावा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
14. जनपद न्यायालय औरैया को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

दिनांक:- 25.03.2015

(अनिल कुमार उपाध्याय)

अध्यक्ष

कयसमिति / विशेष न्यायाधीश

(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट)

जनपद न्यायालय-जालौन
स्थान उरई।